राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर।

आ दे श

रवि कुमार बनाम राजस्थान राज्य.
(एकलपीठ दाण्डिक विविध याचिका संख्या-1188/2012)

30.04.2012

माननीय न्यायाधिपति श्री महेश चन्द्र शर्मा

श्री अनूप पारीक, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।
श्री प्रदीप श्रीमाल,लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

प्रार्थी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-482 के अन्तर्गत यह दाण्डिक विविध याचिका इस न्यायालय के समक्ष संस्थित कर अपर महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-8, जयपुर महानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक-6.3.2012 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा उन्होंने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-311, दण्ड प्रक्रिया संहिता निरस्त किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय विधि की अपेक्षित अपेक्षाओं को दृष्टिगत नहीं रखा न ही अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को सही तौर पर विवेचित एवं विश्लेषित करते हुए आक्षेपित निष्कर्ष निकाले हैं।अत: आक्षेपित आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। इसके विपरीत सुयोग्य लोक अभियोजक ने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी के तर्कों का खण्डन करते हुए आक्षेपित आदेश को विधि सम्मत होना कथित किया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री तथा आक्षेपित आदेश का गहनता पूर्वक अनुशीलन किया गया।

प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रार्थी/ अभियुक्त को अभियोजन साक्षी मोहम्मद जुल्ला से पाँच सौ रूपये हर्जे पर प्रति परीक्षण हेतु एक

अवसर दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामत: यह दाण्डिक विविध याचिका स्वीकार की जाती है। अपर महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-8, जयपुर महानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक-6.3.2012 अपास्त किया जाता है।अपर महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-8, जयपुर महानगर के समक्ष प्रकरण में 2.5.2012 तारीख पेशी नियत होना बताया गया है। अत: यदि उक्त तिथि को अभियोजन साक्षी मोहम्मद जुल्ला न्यायालय में उपस्थित हो तो यदि प्रार्थी 500/-रूपये हर्जे के उनके समक्ष जमा करा दे तो ऐसी सूरत में प्रार्थी को उससे प्रति-परीक्षण का मौका दिया जावेगा अन्यथा उसे एतदर्थ सम्मन जारी कर आगामी तारीख पेशी पर उसके उपस्थित होने पर उससे प्रति-परीक्षण का प्रार्थी को एक अवसर प्रदान करेंगे।याचिका के साथ संलग्न प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र भी तदनुसार निरस्त किया जाता है।

(न्या. महेश चन्द्र शर्मा)

एमसीएस..

"All corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being emailed"

Mahesh Chandra Sharma

P.S.